

नम्बर व लक्षित  
अहकाम जो इस  
दस्तावेज की लक्षित में  
जारी है

दस्तावेज या कायदाही मय इतिहास जल  
गोदानारायण बनम छीतर  
282/17

लक्षित दस्तावेज  
09.10.17

पञ्चवली वस्तु निर्णय पेश हुई। पञ्चवली का  
अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्त द्वारा न्यायालय  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर के आदेश दिनांक  
21.06.17 के विरुद्ध इस्तगत अपील प्रस्तुत की गई जबकि  
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वितीय जयपुर के  
द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.17 एक अंतरिम आदेश है  
जिसके विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगत अपील न्यायालय द्वारा के  
समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण अपील पर अभिम  
कायदाही समभव नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त  
न्यायालय द्वारा के समक्ष पोषणीय नहीं होने के कारण  
अतिरिक्त अपीलान्त को अपील वापस लौटाई जावे।  
पञ्चवली फसल वृत्तन द्वारा नम्बर से कम हो तथा  
न्यायालय द्वारा की पञ्चवली दखिल दफ्तर है। आदेश  
सुनाया गया।

समस्त अपीलान्त  
जयपुर  
(राजेश्वर सिंह)

